

शक्तिय के तहत यह अन्तर्नि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा कि जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक निस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/ वैकट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.07.2019 को पेश हो।

440-42
17/7/19

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
आमर मु जयपुर

सुन दिनांक 24-7-19 को पत्रावली
राजकाय 2/2019 दिनांक 27-8-19 को पत्रावली

(T.9. इलाहाबाद पत्रावली 27-8-19)

VCS

27-8-19 को पत्रावली में प्रमाण प्र-पत्र
से अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग
T.9. पेश हुआ। इतिवत् इलाहाबाद
मामली निषेधाज्ञा प्र-पत्र पत्रावली
आदेश ही बहत प्र-पत्र इलाहाबाद
निषेधाज्ञा सुनी गई एवं पत्रावली
का इतिवत् निम्न अन्तर्नि

